राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)
खनिज भवन, पन्नाधाय सर्किल के पास आजाद नगर, भीलवाड़ा
Email id:- me.bhilwara@rajasthan.gov.in

क्रमांक : खअ/भील/निविदा/2020/604 दिनांकः04/03/2021

निलामी सूचना 24/2020

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भीलवाड़ा जिले के इस कार्यालय क्षैत्राधिकार में विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54, 60 व 61 के तहत जब्तशुदा बजरी अनुमानित मात्रा **1000** टन आरक्षित दर 500/–रू. प्रतिटिन (दर जिला टास्क फोर्स भीलवाड़ा) पर जैसी है उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरे सीलबंद लिफाफ में आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण विभागिय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र 1000/– रू का डी.डी./बैंकर्स चैक खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (Mining Engineer Bhilwara) के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक **22/03/2021** तक रोकड़ शाखा कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, खनिज भवन, पन्नाधाय सर्किल के पास आजाद नगर, भीलवाड़ा (राज.) से प्राप्त किये जा सकते हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में पड़ी जब्तशुदा बजरी कुल मात्रा करीबन **1000** टन की समस्त क्षेत्रों के लिए एक साथ बोली दरें मय बयाना/अमानत राशि 10,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा के नाम हो, सीलबंद लिफाफे में दिनांक **23/03/2021 सांयः 5** बजे तक प्राप्त की जायेंगी । निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक **24/03/2021** को प्रातः **10:00** उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोले जायेगें, नीलामी की शर्ते एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी व किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

खनि अभियन्ता
भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)
खनिज भवन, पन्नाधाय सर्किल के पास आजाद नगर, भीलवाड़ा
Email id:- me.bhilwara@rajasthan.gov.in

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक : खअ/भील/निविदा/2020/604 दिनांकः 04/03/2021

नीलामी हेतु उपलब्ध बजरी का विवरण

भीलवाड़ा जिले में इस कार्यालय के क्षैत्राधीन विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैंकिग के दौरान जब्त शुदा खनिज बजरी (जैसी हैं उसी स्थिति में) पडी हुई है, जिसे दिनांक **25/02/2021** को नीलामी किया जाना है:–

क्र0सं0	क्षैत्र का नाम जहां जब्त की हुई बजरी पडी हुई है।	बजरी की अनुमानित मात्रा
1	**Khajuriya Kheda / Jhazapur / Bhilwara**	1000
Total		**1000**

निविदा कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेगी :– नोट निविदा प्रस्तुत करने की तिथि तक यदि राज्य सरकार/विभाग द्वारा निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"कार्यालय खनि अभियंता, भीलवाड़ा के क्षैत्राधिकार में एकत्रित बजरी निलामी हेतु आवेदन"**, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाऐं कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा खान एवं भू–विज्ञान विभाग, खनिज भवन, पन्नाधाय सर्किल के पास आजाद नगर, भीलवाड़ा (राज.) के कमरा नं **1** पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक **23/03/2021** तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक थाना क्षेत्र/चौकी के अनुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कराना होगा।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारो/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्व विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा की जानकारी/ निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में संबंधित क्षैत्र/परिसर में की जा सकती है।
5. सफल निविदादाता को जब्तशुदा बजरी क्षैत्र/परिसर में जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में स्वयं के खर्चे पर उठानी होगी।
6. प्राप्त निविदाऐं कमेटी द्वारा दिनांक **24/03/2021** को प्रातः 10:00 उपस्थित निविदादाता के समक्ष **खनि अभियंता कक्ष संख्या 1** में खोली जायेगी एवं सफलतम निविदादाता की घोषणा संलग्न दस्तावेज पूर्ण व सही पाये जाने पर की जावेगी एवं सफलतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। सफल निविदादाता

को परिवहन हेतु अवधि अधिकतम 20 दिवस ही अनुमति होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।

7. सफल निविदादाता को सम्बन्धित क्षैत्र/परिसर की खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिगं, अनलोडिंग लेबर व परिवहन ईत्यादि स्वयं के स्तर पर एवं स्वयं के व्यय पर ही करनी होगी। इसमें विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं जीएसटी पंजीकरण इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादी को स्वयं प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी ।
9. सफल निविदादाता को बोली राशि के अलावा नियमानुसार देय GST/TCS/DMFT/RSMET की राशि अतिरिक्त जमा करा कर विभाग को अधिकतम 3 कार्यदिवस में चालान प्रस्तुत करना होगा ।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार /अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा के संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निलामी खनि अभियंता भीलवाड़ा के पास सुरक्षित होगें।
11. सफल निविदादाता को परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वाहन की अनुमत क्षमता के अनुसार ही बजरी परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
12. बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थित में भरकर व तुलाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम बजरी के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तद्नुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
13. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया गया जायेगा। स्टॉक के बेलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबधित खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियंता सतर्कता को व्हाट्सएप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
14. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परविहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्युटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षैत्र के संबधित नम्बर अंकित अधिकारियों को Whatsapp पर भेजने के पश्चात् ही वाहनों को रवन्ना किया जा सकेगा।
15. नीलाम की गई बजरी को पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफल निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
16. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक स्टॉक की फोटो, वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
17. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलाम कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
18. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनेां से अनुमत नहीं होगा।
19. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्युअल रवन्ना जारी किया जायेगा।
20. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।